राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :प.15(46)ज0सं0 / 16 जयपुर, दिनांक : 27-6-17

—: आदेश :—

राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 के अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल) की वर्ष 2016—17 की रिक्तियों के लिये दिनांक 22.06.17 को रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति की अभिशंषानुसार विभाग के निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (सिविल) को वर्ष 2016—17 की रिक्तियों के विरूद्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नत किये जाने के एतदद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं:—

1. श्री निसार अहमद
2. श्री रमेश चन्द्र शर्मा

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषानुसार श्री कैलाशदान सांदू, श्री राजीव चौधरी एवं श्री अनिल कुमार चौबीसा, अधीक्षण अभियंता का नाम Zone of consideration में नहीं आने के कारण वर्ष 2016—17 की चयन सूची में से नाम विलोपित किया जाता है। वर्ष 2016—17 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत अधिकारियों में श्री निसार अहमद का नाम श्री रिडमल सिंह भाखर के नीचे एवं श्री रमेश चन्द्र शर्मा का नाम श्री निसार अहमद के नीचे रहेगा।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता की वर्ष 2016—17 की रिक्तियों के विरूद्व दिनांक 22.09.16 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति में चयनित श्री मनसुख राम डूडी एवं श्री गिरीश लोढा का चयन अधीक्षण अभियंता की रिव्यू डीपीसी में वर्ष 2014—15 के स्थान पर वर्ष 2013—14 में होने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियंता की वर्ष 2016—17 की चयन सूची में श्री मनसुख राम डूडी का नाम श्री चौथमल चौधरी के नीचे एवं श्री गिरीश लोढा का नाम श्री मनसुखराम डूडी के नीचे रहेगा।

आज्ञा से
Sd/-
(आर0सी0 ढेनवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति सभी संबंधित को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव